राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–522/2013/अलवर

मैसर्स लोरम इण्डिया कॉरपोरेशन प्रा0लि0,
ई–151–ई–152, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, चौपानकी भिवाड़ी जिला अलवर।
जरिये जनरल मैनेजर श्री टी साई बेनसन। .....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, भिवाड़ी अलवर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनय कुमार गोयल, अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.02.2018

यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के निर्णय दिनांक 19.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक भिवाड़ी, अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 19.01.2012 द्वारा अंतर मुद्रांक कर रूपये 3,41,920/–, अंतर पंजीयन शुल्क रूपये 4,600/– तथा शास्ति रूपये 180/– कुल रूपये 3,46,700/– की मांग सृजित की है।

निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी मय शपथपत्र पेश किया गया। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का कथन है कि विवादित आदेश दिनांक 19.01.2012 प्रार्थी को बिना सुने ही एकतरफा पारित किया गया है तथा प्रार्थी को इस आदेश की जानकारी मांग पत्र प्राप्त होने पर हुई। तब उसने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया, अतः आदेश की प्रति दिनांक 22.02.2013 को प्राप्त होने के कारण ही रिवीजन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना की। बाद सुनवाई समुचित कारण पाये जाने पर प्रार्थी की देरी माफी की प्रार्थना स्वीकार की जाकर निगरानी ग्राह्य कर श्रवण योग्य पाई जाती है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उप पंजीयक भिवाडी ने प्रार्थी द्वारा निष्पादित लेख पत्र के पंजीयन दिनांक 03.03.2009 में ए.जी. ऑडिट आक्षेप के क्रम में हस्तान्तरित अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य अधिक होने के कारण कमी मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि मय पैनल्टी वसूल करने हेतु एक रेफरेन्स धारा 51(2) के अंतर्गत कलक्टर मुद्रांक, अलवर को दिनांक 21.07.2011 को प्रेषित किया। कलक्टर मुद्रांक द्वारा

निरन्तर.....2

प्रार्थी को दिनांक 18.10.2011 को नोटिस पेशी तारीख 11.11.2011 के लिये प्रेषित किया परन्तु वह नोटिस अदम तामिल रहा। पुनः एक नोटिस दिनांक 15.12.2011 तथाकथित रूप से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया गया जिसमें पेशी दिनांक 02.01.2011 अंकित है। इस नोटिस के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यद्यपि इसमें त्रुटिवश तिथि 02.01.2012 की जगह 02.01.2011 लिख दी गई है, जिसके कारण पेशी की तारीख नोटिस जारी करने की तारीख से पहले की होने के कारण यह नोटिस प्रभाव शून्य है।

कलक्टर मुद्रांक द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 19.01.2012 को एकपक्षीय आदेश करते हुए रेफरेन्स स्वीकार किया गया तथा हस्तान्तरित सम्पत्ति का मूल्यांकन रूपये 47,84,000/– तय करते हुए कमी मुद्रांक कर रूपये 3,41,920/–, कमी पंजीयन शुल्क रूपये 4,600/– तथा शास्ति रूपये 180/– कुल रूपये 3,46,700/– वसूल करने का आदेश जारी किया। इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह रिवीजन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी को विधि अनुसार कोई नोटिस दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है, अतः इसे अपास्त किया जावे।

अप्रार्थी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विवादित आदेश का समर्थन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को ज़ारी प्रथम नोटिस अदम तामिल रहा है तथा दूसरा नोटिस जो कि पंजीकृत डाक से भेजा जाना बताया है, में जो तारीख पेशी 02.01.2011 अंकित है वह नोटिस जारी करने की दिनांक (15.12.2011) से पूर्व की होने के कारण यह नोटिस प्रभावशून्य पाया जाता है। अतः कलक्टर मुद्रांक द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) की भलीभांति पालना किये बिना ही जारी किया गया है, जो कि अविधिसम्मत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार करते हुए इस रिवीजन में विवादित आदेश दिनांक 19.02.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कलक्टर मुद्रांक, अलवर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि धारा 51(3) में यथानिर्दिष्ट प्रक्रिया की पालना करते हुए इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के तीन माह के भीतर प्रकरण में नये सिरे से आदेश पारित करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कलक्टर मुद्रांक, अलवर के समक्ष दिनांक 08.03.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

निर्णय सुनाया गया।

06.02.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य